



भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND
DAMAN AND DIU

श्रेणी - २
SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUTHORITY

Daman	30 th August, 2024	8 Bhadra, 1946 (Saka)	No. : 24
-------	-------------------------------	-----------------------	----------

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय,
दमण.

सं. 1-3/660-व.वि./टी/2022/1780.

दिनांक : 22/08/2024.

अ धि सू च ना

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक एवं उसके साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश सं. 7/1/65-स्था(ए), दिनांक 16 फरवरी, 1965 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/13/2016-स्था.(भ.नि.), दिनांक 18 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के उप वन संरक्षक कार्यालय में सहायक वन संरक्षक, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' (राजपत्रित, अलिपिकीय) पद की भर्ती नियमावली में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव वन सेवा नियम, 2023 है ।
- ये इस नियम की अनुसूची के कॉलम - 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।
- ये नियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-

इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम-2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(1) इन नियमों के लागू होने की तारीख और उसके बाद से यहां एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव वन नियम के नाम से जाना जाएगा ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि :-

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हता :-

ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव इससे संतुष्ट हो जाएं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :-

जहां प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा समिति के परामर्श से आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेंगे ।

6. व्यावृत्ति :-

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों या व्यक्तियों के लिए इस मामले में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली दमण एवं दीव
के आदेश एवं नाम से

ह/-

निदेशक-सह-उप सचिव,
वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव

सहायक वन संरक्षक पद के लिए भर्ती नियम
संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन

अ नु सू ची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
सहायक वन संरक्षक	02 (2023), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय. अभ्युक्ति : दानह 02 पद तथा दमण-दीव 00 पद.	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग - 'ख', राजपत्रित, अलिपिकीय	7 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 7 (रु. 44900- रु. 142400)	चयन पद	लागू नहीं.	लागू नहीं.	<u>आयु</u> : लागू नहीं. <u>शैक्षिक योग्यता</u> : लागू नहीं.

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन क्या है.	किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.
9.	10.	11.	12.	13.
लागू नहीं.	100% पदोन्नति द्वारा	<p>पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में वन परिक्षेत्र अधिकारी, ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित ।</p> <p>नोट : ऐसे अधिकारियों द्वारा फॉरेस्ट रैंजर्स कॉलेजों में वानिकी प्रशिक्षण पर बिताया गया समय भी पदोन्नति के लिए पात्रता सेवा की गणना करते समय गिना जाएगा ।</p> <p>मानक नोट : जहां ऐसे कनिष्ठों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से आधे से अधिक अर्हक/पात्रता सेवा या 2 वर्ष, जो भी कम हो, कम न हों और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।</p>	<p>विभागी पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशासक, दानह तथा दमण एवं दीव : अध्यक्ष 2. प्रशासक के सलाहकार, दानह तथा दमण एवं दीव : सदस्य 3. विभागाध्यक्ष/मुख्य वन संरक्षक, दानह तथा दमण एवं दीव : सदस्य 4. समाहर्ता, दादरा एवं नगर हवेली : सदस्य 5. पुलिस उप महानिरीक्षक, दानह तथा दमण एवं दीव : सदस्य 6. उप वन संरक्षक, टेरिटोरियल, दादरा एवं नगर हवेली : सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

ह/-

निदेशक-सह-उप सचिव,
वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव
दानह तथा दमण एवं दीव

प्रशासन संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव
Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (U.T.)
मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय
Office of the Chief Conservator of Forests
दमन / Daman

No. 1-3/660-FD/T/2022/1780

Date : 22/08/2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Order No.7/1/65-Est.(A) dated 16th February, 1965 and Department of Personnel and Training, New Delhi O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 18th January 2017, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu hereby amends the Rules relating to recruitment to the General Central Services, **Group “B” (Gazetted, Non-Ministerial) post of Assistant Conservator of Forests**, in the Office of the Deputy Conservator of Forests, UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

1. Short Title and commencement :

- (i) These rules may be called, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Forest Service Rules, 2023.
- (ii) These shall apply to the posts specified in column-1 of the Schedule to these rules.
- (iii) These rules will come into effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix :-

The number of the post, classification of the said posts and the Level in the Pay Matrix attached there to shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule to these rules.

- (1) On and from the date of commencement of these Rules, here shall be constituted a Service to be Known as the Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Forest Rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in column 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification:-

No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or; (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service.

Provided that the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-

Where the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Committee relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving :-

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this matter.

**By Order and in the name of the Administrator of Dadra &
Nagar Haveli and Daman & Diu**

Sd/–
**Director – Cum- Deputy Secretary,
Forests, Environment & Wildlife**

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU**

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for Direct Recruits
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Conservator of Forests	02 (2023) *Subject to variation dependent on workload. DNH 02 Posts and DD 00 Posts	General Central Service, Non – Ministerial, Gazetted Group ‘B’	7 Remark: Level-7 (Rs.44900- Rs.142400) in the Pay Matrix.	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ Deputation/Absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: <u>NA</u> . <u>Education Qualification:</u> NA.	NA	100% by Promotion	<p><u>PROMOTION:</u></p> <p>Range Forest Officer in Level 6 in the Pay Matrix with 5 years regular service in the grade.</p> <p><u>Note:</u> Period spent by such officers on forestry training in Forest Rangers Collages shall also be counted while calculating eligibility service for promotion.</p> <p><u>Standard Note:</u> Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</p>	<p><u>Department Promotion Committee:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Administrator, : Chairman D&NH and DD 2 Advisor to : Member Administrator, D&NH and DD 3 Head of : Member Department / Chief Conservator of Forests, D&NH & DD 4 Collector, : Member D&NH 5 Deputy : Member Inspector General of Police, D&NH and DD 6 Deputy : Member Conservator of Forests, Territorial, D&NH 	Consultation with UPSC is not necessary.

Sd/–
**Director – Cum- Deputy Secretary,
Forests, Environment & Wildlife
DNH & DD**
